राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1789/2024

मंजू कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अति मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रतापगढ़।
5. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2024
आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई तथा अपीलार्थी ने उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 17.07.2019 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापिका ग्रेड–III लेवल प्रथम राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमलीकला ब्लॉक धमोटेक जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश अनुसार अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ वर्तमान पदस्थापन स्थान से आदेश दिनांक 08.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदावरी बस्ती छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में लगाया गया है। अपीलार्थी का दिनांक 29.08.2023 को बस से स्कूल ड्यूटी पर जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। जिससे उसको गंभीर चोट आई तथा नाक की हड्डी टूट गई तथा वर्तमान में देहली में इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के दो छोटी बेटीयां है तथा उसका पति प्राईवेट काम करता है। अपीलार्थी इस विकट स्थिति में सात किलोमीटर स्कूटी से विद्यालय पहुंचती है जबकि अपीलार्थी की शारीरिक हालत ठीक नहीं है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। अधिकरण द्वारा परिवेदना देने व समक्ष अधिकारी द्वारा परिवेदना का निस्तारण समयावधि में निस्तारित करने का कहा गया। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात

अपीलार्थी ने पुनः अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की अधिकरण द्वारा को नोटिस जारी किया गया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपीलार्थी शारीरिक रूप से बहुत पेरशान थी। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन किया जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से अधिकरण में चल रहे केस को विड्रा करते हुए शपथ पत्र देने पर ही प्रतिनियुक्ति करने के लिये कहा जिस पर अपीलार्थी ने मजबूर होकर अपील को विड्रा करने का शपथ पत्र दिया। उसके पश्चात अपीलार्थी ने अपनी परिस्थिति बताई परंतु प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कार्यमुक्त करने के लिये प्रधानाचार्य को आदेशित कर दिया उसके पश्चात अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति स्थान पर ही कार्यरत है। अपीलार्थी से पूर्व उक्त विद्यालय में श्रीमती राधा देवी पाटीदार को प्रतिनियुक्ति पर उक्त विद्यालय में पदस्थापित कर रखा था। उसके प्रतिनियुक्ति विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के पश्चात उसको कार्यमुक्त किया गया, उसी के साथ–साथ अन्य महिला कार्मिक की प्रतिनियुक्ति कर रखी थी। वर्तमान में श्री सुरेन्द्र पवांर, महेश त्रिवेदी, बालकृष्ण शर्मा जो कि विभिन्न विद्यालय में पदस्थापित है जिनकी प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा कर रखी है। अपीलार्थी को ना तो आज तक प्रतिनियुक्ति आदेश की अवधि बढायी गयी और ना ही विभाग द्वारा अपीलार्थी को दो माह का वेतन दिया गया है। अपीलार्थी की ड्यूटी वर्तमान में वार्डसर्वे में लगायी गयी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 08.02.2024 को प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था लगे हुए समस्त शैक्षणिक कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त करने बाबत सामान्य आदेश जारी कर दिए उक्त आदेशों की पालना में प्रत्यर्थी संख्या के द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1715 दिनांक 08.02.2024 को प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था में लगे कार्मिक को दिनांक 09.02.2024 तक मूल पदस्थापन पर कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। अपीलार्थी को उक्त कार्यवस्था आदेश द्वारा एक निश्चित अवधि दिनांक 08.02.2024 से 07.03.2024 तक के लिए लगाया गया। अब प्रत्यर्थी संख्या एक व तीन के सामान्य आदेशों से अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पुनः मूल पदस्थापन पर भेजा जा रहा है। अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थीगण एक व तीन के आदेश दिनांक 08.02.2024 की पालना में कार्यमुक्त नहीं करते हुए स्थगित फरमाया जावे।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की संबंध में पारित आदेश क्रमांक 41576 दिनांक 07.02.2024 (अनुलग्नक–1) की पालना में मेडिकल आधार पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा वर्तमान में जहां प्रतिनियुक्ति पर है वहां यथास्थिति बनाये रखी जावे तथा बकाया वेतन का भुगतान किया जावे।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की अपील ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी की तरफ से यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 (अनुलग्नक–1) की पालना में मेडिकल आधार पर कार्यमुक्त नहीं किये जाने एवं वर्तमान में जहां प्रतिनियुक्त है वहां यथा स्थिति बनायी रखी जावे और बकाया वेतन का भुगतान किया जावे। आदेश दिनांक 07.02.2024 में अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर कार्यव्यवस्थार्थ राजकीय प्राथमिक आमलीफला से राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदावरी बस्ती छोटी सादड़ी में लगाया गया है और यह आदेश पारिवारिक समस्या के कारण एक माह की अवधि दिनांक 07.03.2024 तक के लिए जारी किया गया। आलौच्य आदेश अपीलार्थी का नियमित स्थानान्तरण आदेश नहीं है। पारिवारिक समस्या के कारण एक माह की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर कार्यव्यवस्थार्थ जारी किया गया था जो यह आदेश वर्तमान में अवधि समाप्त होने के कारण प्रभावी नहीं है और सेवा नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ लगाये जाने के संबंध में प्रावधान नही है।

अतः इन तथ्यों के आलोक में अपील इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य